D.N. = 17/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

D.N. = 335 17/5/17

प्रकरण संख्या 97/2017

मोहन पिता राजू भील निवासी- काछोला तं॰ माण्डलगढ

बनाम

(1) कैलाशचन्द्र पिता रामस्वरूप गगरानी निवासी- काछोला
(2) रामेश्वर पिता छोगा भील निवासी- रतनपुरा
(3) राजू पिता भैरू भील निवासी- रतनपुरा
(4) नंदा पिता रामजस माली निवासी- काछोला
(5) श्रीमति कमला पत्नि भैरू माली निवासी- काछोला

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

(6) भैरू पिता राजू भील निवासी- काछोला

दिनांक— 16/5/17

(7) लादू पिता नंदा धाकड़ नि॰ काछोला

आदेश :–

(8) पार्वती पत्नि जगदीशचन्द्र मीणा नि॰ शेरपुरा

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री मोहन पिता राजू भील नि॰ काछोला ने जरिये अभिभाषक श्री सांवर मल रेबारी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम काछोला प0ह0 काछोला तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0 — 1728 व 3374/2711 कुल 2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा

किता 2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम काछोला की आराजी न0— 1728 व 3374/2711

2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेंख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 150 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी